संख्या-18 / 2018 /आ0मि0-60 /96-आयुष-2-2018-39/2016 टी0सी0

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष् अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष् 2017-18 में आयुष् मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-403/57/मि0नि0/2017-18, दिनांक 28-12-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए प्राविधानित कुल धनराशि रू0 400000000/-(रूपया चालीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष् वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-8-2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) के शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20.11.2017 के अनुसार रू0 292954400/- (रूपये उन्तीस करोड़ उन्तीस लाख चौवन हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-:

1- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-आर-14030/01/2017-एच एण्ड डी सेल, दिनॉक 18.08.2017 द्वारा रू0 10217.87 लाख एवं पत्र संख्या-आर-14030/03/2017-एच एण्ड डी सेल, दिनॉक 25.10.2017 द्वारा रू0 249.1799 लाख कुल रू0 10467.0499 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई थी।
2- स्वीकृत धनराशि आयुष् मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आयुष् मिशन के दिशा-निर्देश तथा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णत: पालन किया जायेगा।
4- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृस्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तावित कार्यो को समय से कराये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

6 स्वीकृत धनराशि को राज्य आयुष सोसायटी के बैक खाते में जमा करने हेतु अग्रिम आहरण हेतु प्रथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को यथाशीघ् उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथास्थिति अवशेष धनराशि के समायोजन का उत्तरदायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2017-18 के आय-व्ययक सपठित वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में अनुदान संख्या-34 के लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -102-होम्योपैथी-01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय आयुष मिशन (के0-60/रा0-40-के0+रा0)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) के शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20.11.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-18/2018/आ0मि0-60(1)/96-आयुष-2-2018, तददिनांक।

1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
2- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्वा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
4- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त् (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त् संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in